भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-710
उत्तर देने की तारीख-12/12/2022

पीएम श्री योजना के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना

710 श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्रीमती जसकौर मीना:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री अरुण साव:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री लल्लू सिंह:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:
श्री विजय बघेल:
श्री रमेश बिधूड़ी:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) नामक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का संपूर्ण देश में ऐसे 14,500 विद्यालय विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है, इनके नाम और प्रकार क्या हैं तथा विशेषकर राजस्थान और महाराष्ट्र के लातूर, सतारा और सोलापुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तथ दुर्ग, असम में मंगलदोई, मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों में उन राज्यों/

शैक्षिक संकुलों की राज्य- वार संख्या कितनी है, जहां इन विद्यालयों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ग) इन विद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और इनकी राज्य वार क्या स्थिति है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विद्यालयों को खोलने के लिए क्या मापदंडों और इनमें विद्यार्थियों के दाखिले के लिए तय किए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर, 2022 को उदयीमान भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (पीएमश्री) नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति दी है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करेंगे और यथासमय अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को भी नेतृत्व प्रदान करेंगे। ये समान, समावेशी और रुचिकर स्कूल वातावरण में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करेंगे जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार स्वयं के अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

(ख) से (ड.): इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुदृढ़ीकरण द्वारा सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। चूंकि स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए स्कूलों का कोई पूर्वनिर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बंटवारा नहीं होगा। पूरे भारत में कुल स्कूलों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ प्रति ब्लॉक/यूएलबी अधिकतम दो स्कूलों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक) का चयन किया जाएगा।

इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है; जिसके बाद इन स्कूलों द्वारा प्राप्त किए गए बेंचमार्क को बनाए रखने का उत्तरदायित्व हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का होगा। 05 वर्षों की अवधि के लिए इस परियोजना की कुल लागत 27360 करोड़ रु. होगी जिसमें 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों में प्रवेश मापदंड संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

*****